बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0–1/प्री मैट्रिक के0प्रा0यो0–07/2010– 12

प्रेषक,

डॉ0 एन0 विजयलक्ष्मी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

पटना–15, दिनांक– 30-03-2013

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–13 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गो के छात्र/छात्राओं के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत राज्यांश में ₹ 174.24 लाख तथा केन्द्रांश में ₹ 174.24 लाख अर्थात् कुल ₹ 348.48 लाख (तीन करोड़ अड़तालीस लाख अड़तालीस हजार) मात्र की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) अंतर्गत बजट उपबंध एवं राशि की उपलब्धता के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–10 दिनांक–25.03.13 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत राज्यांश में ₹ 131.67 लाख तथा केन्द्रांश में ₹ 131.67 लाख अर्थात् कुल ₹ 263.34 लाख (दो करोड़ तिरसठ लाख चौंतीस हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुनः भारत सरकार से प्राप्त राशि के आलोक में बजट उपबंध के आधार पर राज्यांश में ₹ 174.24 लाख एवं केन्द्रांश में ₹ 174.24 लाख अर्थात् कुल ₹ 348.48 लाख (तीन करोड़ अड़तालीस लाख अड़तालीस हजार) की स्वीकृति संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्यय शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण माँग संख्या–11–राज्य योजना–277–शिक्षा–0101–शिक्षा कूट संख्या–3401 ''विपत्र कोड–P2225032770101 राज्य योजना स्कीम कोड BCW-5461 एवं ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण माँग संख्या–11–केन्द्र प्रायोजित योजना–277–शिक्षा–0602–उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति) कूट संख्या–3401 विपत्र कोड सं0 C2225032770602–योजना आयोग स्कीम कोड–0987 के अंतर्गत विकलनीय है।

3– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो पूर्व से इस योजना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा।

4– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

5– विद्यालय छात्रवृत्ति की स्वीकृति और वितरण विभागीय संकल्प संख्या–53 दिनांक–12.11.2012 के आलोक में किया जायेगा।

6– प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

8– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 एन0 विजयलक्ष्मी)
सरकार के सचिव।

Letter of Princ.Secy.(Harry)

ज्ञापांक– 1/प्री मैट्रिक के0प्रा0यो0–07/2010– 12 पटना–15, दिनांक– 30.03.2013

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/3/13

सरकार के सचिव।

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2012–13 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवंटित/स्वीकृत राशि की विवरणी।

(रू0 लाख में)

क्र0	जिला का नाम	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति			प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति			कुल आवंटित राशि (5+8)
		राज्यांश	केन्द्रांश	कुल (3+4)	राज्यांश	केन्द्रांश	कुल (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	2.50	2.50	5.00	5.00	5.00	10.00	15.00
2	नालंदा	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
3	रोहतास	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
4	भभुआ	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00
5	भोजपुर	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
6	बक्सर	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
7	गया	2.50	2.50	5.00	5.00	5.00	10.00	15.00
8	जहानाबाद	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00
9	अरवल	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00
10	नवादा	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	8.00	12.00
11	औरंगाबाद	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
12	सारण	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
13	सिवान	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	8.00	12.00
14	गोपालगंज	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	8.00	12.00
15	मुजफ्फरपुर	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	8.00	12.00
16	सीतामढ़ी	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
17	शिवहर	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00
18	प0 चम्पारण	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
19	पू0 चम्पारण	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
20	वैशाली	1.50	1.50	3.00	2.50	2.50	5.00	8.00
21	दरभंगा	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
22	मधुबनी	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	8.00	12.00
23	समस्तीपुर	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
24	सहरसा	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
25	सुपौल	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
26	मधेपुरा	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
27	पूर्णियाँ	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
28	अररिया	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
29	किशनगंज	1.50	1.50	3.00	2.50	2.50	5.00	8.00
30	कटिहार	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
31	भागलपुर	2.00	2.00	4.00	3.24	3.24	6.48	10.48
32	बाँका	1.00	1.00	2.00	1.50	1.50	3.00	5.00
33	मुँगेर	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00
34	लखीसराय	1.50	1.50	3.00	2.50	2.50	5.00	8.00
35	शेखपुरा	1.50	1.50	3.00	2.50	2.50	5.00	8.00
36	जमुई	1.50	1.50	3.00	2.50	2.50	5.00	8.00
37	खगड़िया	2.00	2.00	4.00	2.50	2.50	5.00	9.00
38	बेगुसराय	1.50	1.50	3.00	2.50	2.50	5.00	8.00
	कुल योग	**60.00**	**60.00**	**120.00**	**114.24**	**114.24**	**228.48**	**348.48**

(रूपये तीन करोड़ अड़तालीस लाख अड़तालीस हजार)

पत्रांक 12 दिनांक-30.03.13 का अनुलग्नक

30/3/13

सरकार के सचिव।